सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्रांकः—न0नि0—50—45/2025 2863

प्रेषक,

शम्भु कुमार
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी—सह—
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),
(नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, शिवहर,
दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक— 24.06.2025

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर Artificial Intelligence से संचलित ओ.सी.आर. पद्धति आधारित मतगणना, इसके लाइव वेबकास्टिंग और रिकॉर्डिंग द्वारा मतगणना परिणाम प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर Atifical Intelligence से संचलित ओ.सी.आर. पद्धति आधारित मतगणना, इसके लाइव वेबकास्टिंग और रिकॉर्डिंग द्वारा मतगणना परिणाम प्राप्त करने हेतु मुख्यालय स्तर से BSNL एजेंसी को कार्य आवंटित किया गया है। जिसका सेवा प्रदात्ता EPITOME Pvt. Ltd है।

मतगणना केन्द्र पर Artificial Intelligence से संचलित ओ.सी.आर. पद्धति आधारित मतगणना, इसके लाइव वेबकास्टिंग और रिकॉर्डिंग का उद्देश्य :—

1. नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर जिलावार रिक्तयों के अनुसार (यथा मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद) के पदों का मतदान ई0वी0एम0 एवं ई—वोटिंग के माध्यम से कराया जा रहा है। इस हेतु प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर तीनों पद के निमित्त अलग—अलग तीन वज्रगृह तथा मतगणना हॉल बनाये गये है।

2. वेबकास्टिंग के माध्यम से मतगणना केन्द्र के सभी वज्रगृह में ई.वी.एम., ई—लॉक एवं इन वज्रगृह से मतगणना हॉल तक पदवार ई0वी0एम0 ले जाने का अनुश्रवण किया जा सकेगा।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna-800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612-2507847 E-mail : secbihar@gmail.com

3. मतगणना हॉल के अन्दर मतगणना कर्मियों/मतगणना अभिकर्त्ता के सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी।

4. इसके अतिरिक्त मतगणना केन्द्र के गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है।

5. ओसीआर पद्धती से मतगणना में ई0वी0एम0 से प्राप्त हो रहे आंकड़े को स्ट्रीमिंग, रिकॉडिंग एवं वेबकास्टिंग किये जाने से निष्पक्षता, स्वच्छता एवं पारदर्शिता के साथ उत्तरदायित्व सुनिश्चित करायेगा।

6. चुँकि ईवीएम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित अवधि तक के लिए एवं सीमित संख्या में उपलब्ध कराये जाने के कारण निर्वाचन के बाद ईवीएम हस्तांतरण की अनिवार्यता होती है ऐसे में निर्वाचन संबंधी वाद दायर होने की स्थिति में इवीएम की रिर्काडिंग एक अन्य साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी उपलब्ध रहेगा, जिससे आयोग एवं जिला को भविष्य में ऐसे मामलों में भी अपना पक्ष रखने में ठोस सहायता मिलेगी।

(क) <u>मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षण :–</u>

स्ट्रीमिंग, रिकॉडिंग एवं वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक व्यवस्थाएँ की जायेंगी :–

1. आयोग के स्तर पर विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री संजय कुमार, नोडल पदाधिकारी नामित किए गए है, एवं तकनीकी सहयोग हेतु आई.टी. प्रबंधक, परामर्शीके प्रतिनिधि– बृज बिहारी (9431214664) एवं करण पाण्डेय (729861849) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

2. BSNL के स्तर पर दिनेश चन्द्र दास मो0 सं0– 9431200921 को राज्य समन्वयक बनाया गया है एवं इसके सेवा प्रदात्ता(EPITOME Pvt. Ltd.) द्वारा मुख्यालय स्तर पर दो राज्य समन्वयक श्री सलमान मो0 सं0– 7574828204 एवं श्री जिगनेश मो0 सं0– 9227001005 (State Coordinator) की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

3. आयोग द्वारा मतगणना स्ट्रीमिंग, रिकॉडिंग एवं वेबकास्टिंग के अनुश्रवण हेतु आवश्यकतानुसार TV/Computer Screen आदि की व्यवस्था मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।

(ख) <u>जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा की जाने वाली व्यवस्था :–</u>

1. ओसीआर आधारित स्ट्रीमिंग, रिकॉडिंग एवं वेबकास्टिंग के कार्यों को Supervise, Monitoring एवं अधिष्ठापन करने हेतु जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। DIO / IT Manager तकनीकी नोडल पदाधिकारी के रूप में रहेंगे जो उन्हें तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। EPITOME द्वारा भी जिला स्तर पर एक मैनपावर समन्वय हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

2. DIO / IT Manager द्वारा प्रस्तावित एजेन्सी (जिनके द्वारा विगत वर्ष भी ओ.सी.आर. कराया गया) सभी संबंधित कर्मियों को <u>मतगणना की तिथि से 03 दिन पूर्व</u> पहचान

पत्र निर्गत किया जायेगा। वेबकास्टिंग के नोडल पदाधिकारी द्वारा Empannelled एजेंसी के प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से पहचान–पत्र निर्गत किया जाएगा।

3. मतगणना केन्द्र पर OCR हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रत्येक टेबुल पर विद्युत सहित लगने वाले कैमरों के लिए आवश्यकतानुसार पॉवर सॉकेट उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्त्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु स्थानीय स्तर पर विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर निर्बाध विद्युत् आपूर्ति हेतु निदेशित किया जाए।

4. एजेन्सी के द्वारा कैमरे, मोबाईल सीम, कैमरा स्टैंड की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। मतगणना दिवस के दिन संबंधित कार्यालय/मतगणना हॉल में लगने वाले अन्य उपकरण यथा–यू.पी.एस.,टी.वी. लैपटॉप, जनरेटर, इन्टरनेट इत्यादि की व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

5. जिला स्तर/अनुमंडल स्तर पर एजेन्सी को <u>दिनांक 26.06.25</u> से <u>दिनांक 13.07. 2025</u> तक अपने उपकरणों के सुरक्षित भंडारण एवं रख–रखाव हेतु एक कक्ष/कमरा उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही सभी मतगणना केन्द्रों पर भी सुरक्षित भंडारण हेतु कमरों की व्यवस्था एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी।

6. ओसीआर आधारित स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग एवं वेबकास्टिंग के लिए चयनित मतगणना केन्द्रों की सूची निर्वाची पदाधिकारी द्वारा चयनित वेंडर को मतदान से <u>तीन दिन पूर्व</u> उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>मतगणना हॉल</u> हेतु दिशा–निर्देश पूर्व में पत्रांक 2752 दिनांक 17.06.2025 द्वारा दिया गया है।

7. DIO/IT Maneger को आवश्यक सहयोग करने हेतु संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला द्वारा प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया जाएगा जिसका सतत् अनुश्रवण संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा की जाएगी।

8. मतगणना हॉल में मतगणना की तिथि से कम से कम <u>चार दिन (दिनांक 26.06. 2025) पूर्व</u> विद्युत् व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं निर्धरित संख्या में काउन्टिग टेबल की व्यवस्था की जाएगी ताकि एजेन्सी द्वारा मतगणना के पूर्व सभी टेबल पर कैमरा अधिष्ठापित कर उसकी जांच ससमय की जा सके।

9. **निर्वाची पदाधिकारी का दायित्व – वैधानिक रूप से मतगणना संबंधित मतगणना कर्मियों द्वारा ही किये जायेगें।** निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों पर पदवार उपयोग किये गये ई0वी0एम0 का <u>क्रमांक तथा प्रपत्र–14(ख) की हस्ताक्षरित प्रति जिला स्तर पर</u> Empannelled एजेंसी के कर्मी को मतगणना से तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। ई0वी0एम0 से प्राप्त हो रहे आंकड़े OCR पद्धति द्वारा ऑटो टेबलेटिंग किये जाने से मतगणना कर्मियों द्वारा किये जा रहे ऑकड़े का मिलान (counter check) किया जाना अनिवार्य होगा। मतगणना के समय मतगणना कर्मी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र 24 (क) एवं OCR पद्धति द्वारा ऑटो टेबलेटिंग के माध्यम से निर्गत प्रपत्र का मिलान किया जाएगा तथा

संतुष्ट होने के पश्चात् प्रपत्र पर **निर्वाची पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।**

10. **आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक का दायित्व** –आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक मतगणना के समय मतगणना कर्मी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र 24 (क) एवं OCR पद्धति द्वारा ऑटो टेबलेटिंग के माध्यम से निर्गत प्रपत्र का मिलान किया जाएगा तथा संतुष्ट होने के पश्चात् प्रपत्र पर **हस्ताक्षर करेंगे /**

11. मतगणना हॉल में ऐसे स्थान पर TV लगाया जाए ताकि सभी अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता ई.वी.एम. द्वारा होने वाले काउन्टिंग का अवलोकन कर सकें।TVकी व्यवस्था जिला स्तर पर किया जाएगा।

12. ई.वी.एम. से होने वाले मतगणना परिणाम का ओ.सी.आर. पद्धति द्वारा पदवार विहित प्रपत्र (प्रपत्र 24 (क), 24 (ख)(1), 24 (ख)(2) तथा 24(ग) तथा वैसे मतदान केन्द्र जहाँ ई–वोटिंग प्रक्रिया द्वारा मतदान हुआ है, वहाँ प्रपत्र 24 (ख)(1)(A) एवं 24 (ख)(2)(A)में Auto tabulating से प्राप्त होगा।

    विदित हो कि मतगणना कार्य हेतु परम्परागत पूर्व की व्यवस्था के तहत जो मतदान केन्द्रवार/पदवार प्रपत्र 24 (क), 24 (ख)(1), 24 (ख)(2) तथा 24(ग) तथा आवश्यकतानुसार 24 (ख)(1)(A) एवं 24 (ख)(2)(A)तैयार/संधारित किया जाता है, वह प्रक्रिया पूर्व की तरह की जानी है। यह व्यवस्था इसके अतिरिक्त की गई है।

13. संबंधित निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र– 24 (क), 24 (ख)(1), 24 (ख)(2) तथा 24(ग) तथा आवश्यकतानुसार 24 (ख)(1)(A) एवं 24 (ख)(2)(A)की तैयारी करेंगे, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के अभिरक्षा में रखा जायेगा।

14. मतगणना केन्द्र पर ओसीआर आधारित स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग एवं वेबकास्टिंग हेतु वेब कैमरा के लिए मोबाईल सिम के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध रखना एजेन्सी की जिम्मेवारी है। एजेंसी द्वारा JIO/Airtel का सिम कैमरों के साथ लगा कर भेजा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर किसी अन्य सर्विस प्रोवाईडर की सेवा प्राप्त करने में जिला पदाधिकारी स्तर से Facilitate किया जाएगा।

15. मतगणना केन्द्र के महत्त्वपूर्ण जगहों पर उपस्थित कर्मियों एवं सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए यह सूचना अंकित हो कि "आप वेब कैमरे की निगरानी/You are Under Web camera Surveillance में हैं।"

(ग) <u>चयनित एजेन्सी के कर्त्तव्य :–</u>

1. मतगणना हॉल में प्रत्येक टेबल पर एक कैमरा का अधिष्ठापन किया जाएगा एवं प्रत्येक मतगणना हॉल में एक ऑपरेटर जिला द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसका भुगतान प्रति कैमरे की दर से एजेंसी के द्वारा किया जाएगा।

2. मतगणना केन्द्र पर ब्रजगृह, मतगणना हॉल, ओ.सी.आर. आदि के लिए वेब कैमरा आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

3. मतगणना केन्द्र पर वेब कैमरा द्वारा वेबकास्टिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को देखने हेतु लिंक की व्यवस्था हॉलवार सुनिश्चित करना।

4. एजेन्सी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना कार्यालय हेतु एक **राज्य स्तरीय समन्वयक** एवं **जिला स्तर पर प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय समन्वयक** की प्रतिनियुक्ति करना।

5. वेबकास्टिंग से संबंधित संबंधित डाटा **भारत में अवस्थित सर्वर** पर संधारित किया जाएगा।

6. मतगणना के दिन सर्वर सक्रियता 100% सुनिश्चित की जाएगी।

7. मतगणना की तिथि से 03 दिन पूर्व वेबकास्टिंग का परीक्षण (Demo) किया जाएगा।

8. मुख्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर एवं निर्वाची पदाधिकारी स्तर पर Video Streaming URL, Password के साथ उपलब्ध कराया जायेगा जिससे जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं मुख्यालय स्तर पर MIS के माध्यम से मतगणना कार्य का अनुश्रवण करेंगे।

9. मतगणना के पश्चात् सभी रिकॉडिंग को एक सप्ताह के अंदर हार्ड डिस्क में जिला एवं आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही आयोग के वेबसाईट पर MIS के साथ होस्ट किया जायेगा।

10. OCR प्रक्रिया के संचालन हेतु दिनांक 26.06.2025 एवं 27.06.2025 को ऑनलाईन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी।

11. मतगणना केन्द्र में प्रत्येक बज्रगृह के अंदर तीनों पद हेतु एक–एक कैमरा तथा प्रत्येक ब्रजगृह के बाहर भी एक–एक कैमरा जिससे बाहर की गतिविधियों एवं ई–लॉक पर भी नजर रखी जा सकेगी। ब्रजगृह के बाहर के कैमरों को ई–लॉक एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे कि उक्त कैमरे के माध्यम से MIS के द्वारा ई–लॉक के बंद एवं खुलने की गतिविधि पर भी नजर रखी जा सकेगी। साथी ही इसका लाईव स्ट्रीमिंग भी होगा। इसका लिंक पदाधिकारियों के साथ–साथ सभी संबंधित अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

12. मतगणना दिवस पर लगने वाले कैमरों के लिए मैनपावर की व्यवस्था जिला द्वारा किया जाएगा एवं इसका भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा 500/– प्रति कैमरा की दर पर किया जाएगा।

घ **मतगणना केन्द्र पर OCR तकनीक द्वारा Auto Plotting कार्य–हेतु की जाने वाली व्यवस्था**

चयनित एजेंसी द्वारा मतगणना प्रक्रिया में ईवीएम से प्राप्त हो रहे आँकड़ों का OCR तकनीक द्वारा ऑटो प्लॉटिंग का कार्य किया जाएगा। उक्त हेतु निम्नांकित व्यवस्थाएँ की जानी है –

मतगणना के लिए आवश्यक तैयारी

1. **फ्रेम एवं कैमरा की फिटिंग**

क. जिला प्रशासन द्वारा मतगणना कक्ष में टेबल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था मतगणना के पाँच दिन पूर्व सुनिश्चित करा दिया जायेगा।

ख. जिला के नोडल पदाधिकारी एवं DIO/IT Manager का यह दायित्व होगा कि मतगणना के चार दिन पूर्व तक सभी टेबल पर फ्रेम एवं कैमरा को अधिष्ठापित कर लिया जाए। इसकी ट्रायल भी मतगणना के तीन दिन पूर्व (C–3)को कर लिया जाए। (C Stand for counting day)

ग. जिला के नोडल पदाधिकारी एवं DIO/IT Managerद्वारा सभी टेबल की स्थिरता को भली–भाँति चेक कर लिया जाएगा ताकि मतगणना के दिन किसी भी टेबल पर अनावश्यक Vibration (कंपन) ना आए। आवश्यकता पड़ने पर टेबल को Replace करवा लिया जाए।

2. **लाईट की व्यवस्था**

क. ओ.सी.आर के सफलतापूर्वक संचालन में मतगणना कक्ष में पर्याप्त एवं ओ.सी.आर. अनुकूल लाईट की काफी अहम भूमिका है। जिला ओ.सी.आर. नोडल यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मतगणना कक्ष के किसी भी लाईट का Reflection CU के Display पर ना पड़ें।

ख. अनिवार्य रूप से मतगणना कक्ष में LED लाईट को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग. अगर मतगणना कक्ष में किसी मतगणना पटल पर सूर्य की सीधी रौशनी (Direct Sun Light) पड़ रही हो तो यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि किसी भी मतगणना पटल पर सूर्य की सीधी रौशनी (Direct Sun Light) न पड़े।

3. **इन्टरनेट की व्यवस्था**

मतगणना हॉल में इन्टरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर मतगणना ऐप में प्रविष्ट कर प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल से प्राप्त किया जा सके।

4. **प्रत्येक राउंड हेतु ओ.सी.आर. का निर्धारित समय**

क. मतगणना हॉल में प्रत्येक राउंड के ओ.सी.आर. के परिणाम को कैमरों के द्वारा कैप्चर किए जाने के उपरांत प्रथम चरण के प्रत्येक सी.यू. के परिणाम की समाप्ति यानि ई.वी.एम के डिसप्ले पर END दिखने के पश्चात् ही हटाया जायेगा। इसी प्रकार अगले ई.वी.एम. के साथ यह प्रक्रिया दुहराई जायेगी।

5. **OCR पद्धति से की गई मतगणना के लाईव Display के लिए टीवी**

क. प्रत्येक मतगणना कक्ष में OCR के सभी कैमरे के लाईव डिस्प्ले के लिए दो टीवी अधिष्ठापित किया जाएगा। टीवी जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

ख. टीवी ऐसे जगह अधिष्ठापित किया जाएगा जहाँ से वह सभी मतगणना कर्मी/अभ्यर्थी/मतगणना अभिकर्त्ता को सहजता से प्रदर्शित हो।

ग. मतगणना स्थल पर निर्वाची पदाधिकारी/प्रेक्षक के कक्ष /नियंत्रण कक्ष में ओसीआर डिस्पले के लिए एक टीवी/लैपटॉप की भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

6. **ईवीएम की मैपिंग**

क. मतगणना के 5 दिन पूर्व जिले के DIO/ITM का यह दायित्व होगा कि वह विहित प्रपत्र में ईवीएम के सभी डाटा को पोर्टल पर एजेंसी के सहयोग से प्रविष्टि करा ली जाए तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी आयोग को भेजा जाएगा की ईवीएम मैपिंग संबंधित सभी प्रविष्टि सही–सही करा ली गई है।

ख. मतदान के दिन अगर कोई CU को बदला जाता है तो इसकी प्रविष्टि भी पोर्टल पर सुनिश्चित कराते हुए इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध करायी जाएगी।

ग. मतगणना के दिन ईवीएम की बैटरी हेतु अतिरिक्त पॉवर पैक की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।

घ. अगर सी.यू. मतदान के दिन बदला गया है, एवं दोनो सी.यू. में मत डाले गये है तो सुनिश्चित किया जाए कि दोनो सी.यू. बज्रगृह में रखे गये है, जिसका मतगणना सुनिश्चित की जाए।

7. **ओ.सी.आर. की मॉक टेस्टिंग**

क. मतगणना के 3 दिन पूर्व ओ.सी.आर. तकनीक का मॉक टेस्ट कराया जाएगा।

ख. जिला प्रशासन द्वारा DIO/ITManager/चयनित एजेंसी को मतगणना से तीन दिन पूर्व दो डमी कंट्रोल यूनिट उपलब्ध कराया जाएगा जो कि नोडल पदाधिकारी के देख–रेख में रहेगा।

ग. DIO/ITManager/चयनित एजेंसी समन्वयक डमी कंट्रोल यूनिट को सभी टेबल पर फ्रेम में अधिष्ठापित कर उसकी पोजिशनिंग, लाईट का रिफलेक्शन तथा अन्य आवश्यक जाँच सुनिश्चित कर लेंगे।

8. **ओ.सी.आर. पद्धति से की जानेवाली मतगणना हेतु कर्मियों/पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं उनका प्रशिक्षण**

क. मतगणना के दिन प्रत्येक मतगणना कक्ष में दो दक्ष एवं उत्साही कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जो https://bihareleocr.live के पोर्टल पर ओ.सी. आर. से की जाने वाली मतगणना का सतत अनुश्रवण करेंगे।

ख. वैसे कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने विगत पंचायत निर्वाचन/नगरपालिका निर्वाचन में ओसीआर के दायित्व का निवर्हन किया हो।

ग. एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कैमरा के लाइव फीड का अनुश्रवण करेंगे तथा दूसरा ऑपरेटर ईवीएम के रिजल्ट का अनुश्रवण करेंगे। अगर किसी ईवीएम का परिणाम पोर्टल पर लंबित प्रदर्शित करता है तो अविलम्ब संबंधित मतगणना टेबल के कर्मी को सूचित कर उसे ठीक कराया जाएगा।

घ. आयोग द्वारा ओ0सी0आर0 नोडल, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं जिला आई.टी. मैनेजर को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके द्वारा ओ0सी0आर0 से संबंधित सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

9. **मतगणना के दिन की जाने वाली अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ :–**

क. ईवीएम के डिस्प्ले पर मतगणना के दौरान अगर धूल (Dust) पाया जाता है तो मतगणना कर्मी द्वारा उसे साफ्ट ड्राई टिशु पेपर के माध्यम से साफ कर लिया जाएगा। किसी भी हालत में CU के डिस्पले को साफ करने के लिए **किसी भी लिक्विड मटेरियल (कोलीन आदि) का प्रयोग नहीं किया जाएगा।**

ख. मतगणना के दौरान अगर किसी कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले लो विजिवलिटी प्रदर्शित करता है तो इसके लिए मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पॉवर पैक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

ग. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं जिला आई.टी. मैनेजर द्वारा मतगणना के दिन ओ.सी.आर. पोर्टल का सतत् अनुश्रवण किया जाएगा एवं तकनिकि कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेवारी उनकी होगी।

10. ओ0सी0आर0 नोडल/DIO/ITM का दायित्वः–

ओ0सी0आर0 तकनीक की सफलता में ओ0सी0आर0 नोडल/DIO/ITM की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। ओ0सी0आर0 नोडल पदाधिकारी, आयोग, एजेंसी, अन्य पदाधिकारियों से सतत् संमन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे। DIO/ITM के सहयोग हेतु अनुमण्डलीय आई.टी. सहायक एवं अन्य कार्यालय के दक्ष कार्यपालक सहायक की सेवा ली जाएगी।

11. अन्यान्य :–

1. **मतगणना केन्द्र पर सभी आधारिक संरचना (Infrastructure) की व्यवस्था कर ली जाए।**

2. वेबकास्टिंग संबंधी सभी कैमरों का अधिष्ठापन एवं उससे संबंधित अन्य आधारिक संरचना **(Infrastructure) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।**

3. मतगणना दिवस के दिन स्थानीय स्तर पर जिला द्वारा सभी संबंधित कार्यालय में आवश्यक Bandwidth के साथ नेटवर्क आदि की व्यवस्था कर ली गयी है, सुनिश्चित कर लें, ताकि मतगणना प्रक्रिया का डैश बोर्ड के माध्यम से अनुश्रवण किया जा सके।

4. सभी अधिष्ठापित कैमरों के क्रियाशीलता की जाँच कर ली जाए।

5. ओ.सी.आर. हेतु आवश्यक है कि सी.यू. के उपर अधिष्ठापित कैमरा किसी भी स्थिति में नहीं हिले अन्यथा ऑटो प्लॉटिंग की प्रक्रिया बाधित होगी। इस संबंध में चयनित वेंडर द्वारा कैमरा का इंस्टॉलेशन के लिए स्टैंड की व्यवस्था की गई है। जिससे ईवीएम एवं अधिष्ठापित कैमरा एक साथ स्टैंड पर रखने की व्यवस्था की गई है।

6. मतगणना कर्मी द्वारा किये जा रहे मतगणना की तालिका OCR पद्धति से 'ऑटो टेबलेटिंग' कर गणना प्रपत्र तैयार होगा जिससे मतगणना त्रुटि रहित होगी। वैधानिक रूप से मतगणना संबंधित मतगणना कर्मियों द्वारा ही किये जायेगें। परन्तु ई0वी0एम0 से प्राप्त हो रहे आंकड़े OCR पद्धति द्वारा ऑटोटेबलेटिंग किये जाने से

मतगणना कर्मियों द्वारा किये जा रहे ऑकड़े का मिलान (counter check) किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त कार्यों को शत्–प्रतिशत सफलतापूर्वक किये जाने हेतु एजेंसी द्वारा Protocols, Check List & Do/Dont's उपलब्ध कराया गया है, जिसे संलग्न किया गया है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कार्य में सहायता प्रदान करने हेतु एक अनुसूची संलग्न है, जिसके अनुसार सहायता प्रदान की जाए।

प्रत्येक जिला में ईवीएम का डाटा कैप्चर ओ.सी.आर. सुनिश्चित कराये जाने के निमित जिला पदाधिकारी द्वारा एक Dedicated वरीय पदाधिकारी (अपर समाहर्त्ता/वरीय उप समाहर्त्ता) की प्रतिनियुक्त कराना सुनिश्चित की जाए, जिन्हें सम्पूर्ण ओ.सी.आर. कार्य कराने हेतु प्राधिकृत किया जाए।

वेबकास्टिंग हेतु प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी एवं डी.आई.ओ. सुनिश्चित करायेंगे कि लगाये गये कैमरा शत्–प्रतिशत क्रियाशील हैं तथा मानवबल ओ.सी.आर. तकनीक संबंधी कार्य करने में सक्षम हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर आवश्यक नेटवर्क आदि की जाँच कर लेंगे। यदि कोई समस्या है तो इस संदर्भ में एजेंसी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

जिलों में नगरपालिका आम/उप चुनाव एवं पंचायत उप चुनाव कराया जाना है जिसमें इसी एजेन्सी द्वारा आपूरित कैमरा का उपयोग किया जाना है, अतः मतगणना केन्द्र पर अधिष्ठापित कैमरों की सुरक्षा एवं भंडारण की व्यवस्था करायी जाए। वेंडर के कर्मी भी निश्चित रूप से जिला में उपस्थित रहेंगे।

अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) अपने पर्यवेक्षण में सभी कार्यों को सुनिश्चित करायेंगे, तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत करा दी जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– नं0नि0 50–45/2025 2863 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर को राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न0नि0–50–45/2025 2863 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– आयोग द्वारा नियुक्त सभी प्रेक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न0नि0–50–45/2025 2863 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, BSNL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna-800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612-2507847 E-mail : secbihar@gmail.com

ज्ञापांक— न0नि0—50—45 / 2025 2863 पटना, दिनांक —
प्रतिलिपिः— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक— न0नि0—50—45 / 2025 2863 पटना, दिनांक —
प्रतिलिपिः— सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक— न0नि0—50—45 / 2025 2863 पटना, दिनांक —
प्रतिलिपिः— माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

Standard Operating Procedure and Scope of Work Document for OCR Computation of Bihar State Election 2025

The propose of this documents is to define scope of work and timelines for Computation and auto report generation of Election result using AI based Optical Character recognition which is provided on SAAS model hosted on Secure cloud.

Timeline for achieving the goal:

Task	Day 3 before Counting	Day 2 before Counting		Day 1 before counting	On the day of Counting
Mapping of EVM Machines and Candidates	Election Commission and District Administration				
Placement of camera in counting Hall		Election Commission and District Administration			
Connecting Camera to server			Epitome		
Internet Load Test				Epitome	
Report Generation and Broadcast					Epitome

Stakeholder involved:

1. State Election commission
2. District Administration
3. Epitome

Work to be done by different stakeholders:

State Election commission:

1. SEC will provide the mapping of EVM machines with District , post, booth at least "Day-3" or "Day-4" before the election.
2. Create a mini control room at headquarters to monitor using CCTV streams, to check if all the SOP given in this document is being followed by different stakeholders.
3. In case of non-following up SOP state election commission will take responsibility to directly talk to the respective representatives of each of the abovementioned stakeholders.

District Administration:

1. Administration to provide the EVM mapping data to Epitome 4 days before the counting
2. Administration to provide API interface and document for e-vote to Epitome 4 days before the counting
3. Administration will provide the completed hall with table, power socket in each table, uninterrupted electric power at least 3 days before date of counting so that installation process for camera can be initiated
4. Administration will install the camera as pre training provided with reference to training video already shared in counting hall and tables 2 days before date of counting
5. Administration on the day of counting will work as an observer to watch if the EVM is placed correctly or not in front of the camera, the placement of EVM Machine during counting in the stand is critical for successful retrieval of OCR data
6. In case if any particular hall/table is not following the SOP related to placement of EVM Machine Administration should take cognizance and give instruction to follow the Protocol
7. Administration will dismantle the camera, stand and accessories post to counting and handover the cameras and its accessories to Epitome

EPITOME CORPORATION - Scope

1. Epitome shall provide the camera, mounting stand for camera and EVM machine and accessories to administration 3 to 4 days before date of counting
2. Mounting stand provided by Epitome has provision to install both camera and place EVM in a single fixture to ensure clear and close view of EVM led display is made available to camera lens. Training video on how to install the camera and mount the EVM has already been submitted to Administration
3. Internet connection for camera shall be provided via 4G SIM of JIO and Airtel as applicable, the camera provided support 4G modules hence activated SIM with sufficient data balance shall be provided by Epitome 3 to 4 days before date of counting
4. A web based dashboard: https://bihareleocr.live shall be provided by epitome 4 days before date of counting to administration with user name and password based on role (Admin, SEC, District and RO)

A. Admin: Admin role will have access to view all district OCR Report along with access to edit EVM Serial number and conduct Review of OCR results and Corrections

B.SEC: SEC role will have access to view all district OCR Report in real time

C: District: District role will have access to view OCR Report pertaining to their respective district only

D: RO: RO role will have access to access to view OCR Report pertaining to their respective Nagarpalika only

5. Epitome shall ensure all data pertaining to OCR and its video backup are securely stored in India on cloud (AWS EC2 Instance, Mumbai)

6. Separate portal shall be provided for live streaming and OCR Computation

7. Epitome shall also host OCR application and OCR backup data and Video on server provided by Administration for future training and improvement

8. Video Training manual of web based dashboard: https://bihareleocr.live shall be provided 24 hours post to receipt of all mapping data and e-vote API. This training video can be used by administration to train the operators at RO, District and SEC on how to use, monitor and generate reports of OCR Computation on the day of counting.

Installation of CCTV camera on each EVM counting table-

Materials that will be delivered for OCR based Counting –

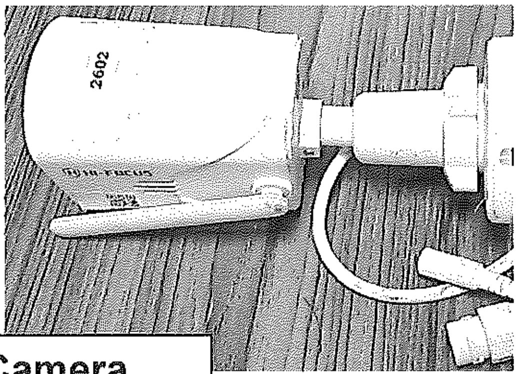

Camera

Adapter

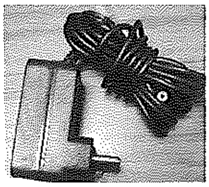

2. Stand for EVM & OCR

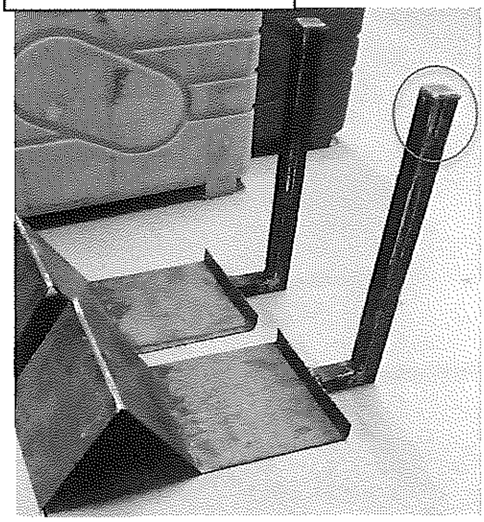

Nut & Bolt

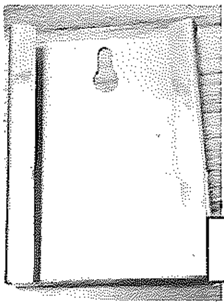

Holder

3. Kit Bag

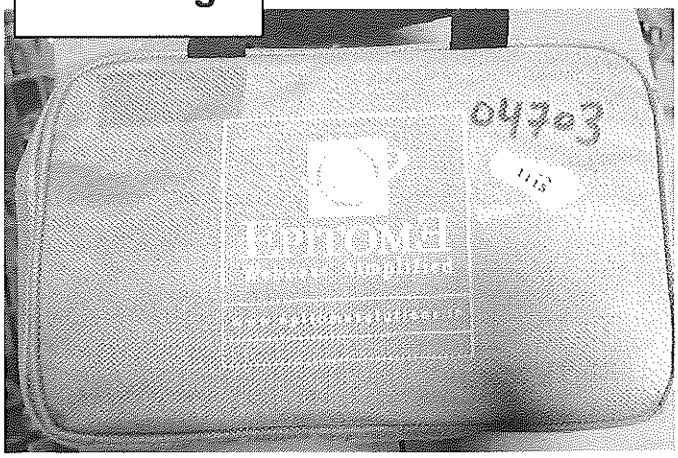

Steps of Installation-

Before setup make sure to check camera series as per given Mapping and install same camera series on allotted EVM table numbers. Camera series can be checked on Kit bag and on Camera itself.

Steps-

1. Hang the Holder to Stand with Nut & Bolt.
2. Then put the Camera into the holder to hang on stand.
3. Set the angle of camera on stand so that camera clearly face and view the EVM screen for OCR.
4. Connect the Camera with Power adapter plug to electric board socket. (Make sure the power should keep ON all the time.)
5. Once camera get Started, it will automatically connect with Internet and will get Live instantly in few seconds.
6. Green light blinking in camera is the sign that its live and connected with internet.
7. Link to check its Live view and EVM setup will be shared with concern persons to check and verify. Do remember- Live view link has some delay time of 15-30secs, so any changes on camera angle and EVM position will be taking same time so be patience while doing live view setup.
8. OCR Camera Setup & EVM Screen view can be seen as shown below-

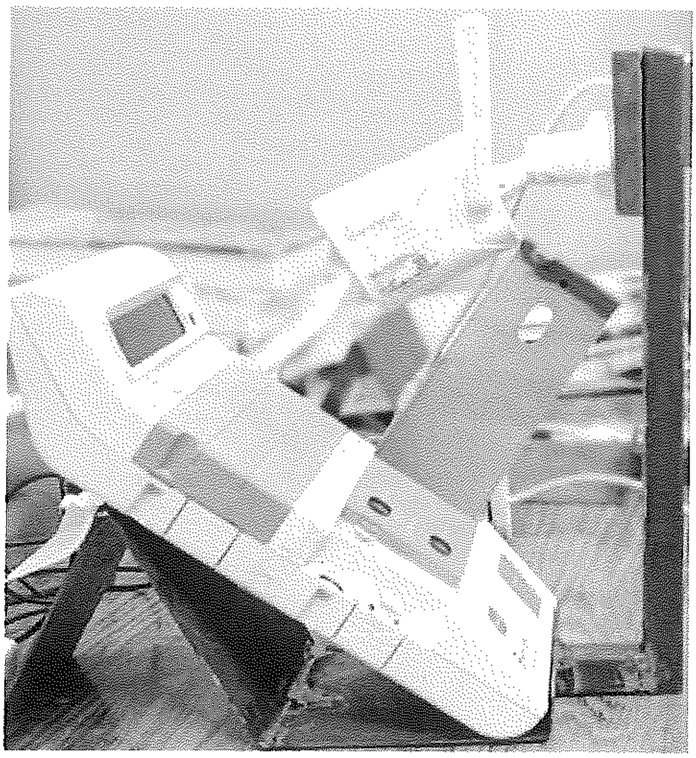

OCR Camera and EVM Setup

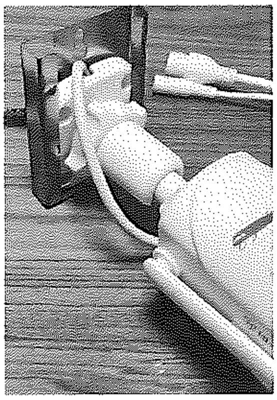

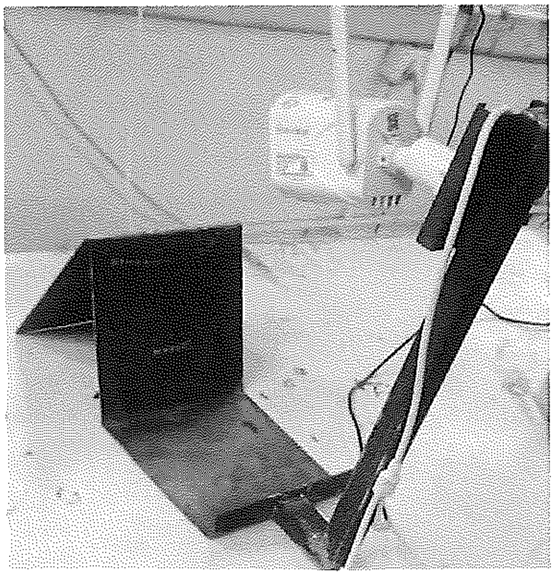

OCR Camera, EVM Setup and LIVE VIEW ON SCREEN

Internet Connectivity

For every camera a dedicated internet connection is used with a fixed upload and downloads speed of 1 MBPS. The speed test at each counting center is performed and checked two days before the counting, so that if there is any glitch, it can be fixed on time.

Cloud/server where all feeds from cameras will be collected:

Dedicated server setup is done for following purposes:

1. Deployment of streaming server for collection and assembling of video feeds from all the districts on the server in real time.
2. Deployment of an analytics server for performing AI based analytics like EVM detection, screen localization, OCR.
3. Storage server is deployed to keep the results along with the generated result .

Do's and Don'ts for EVM placement

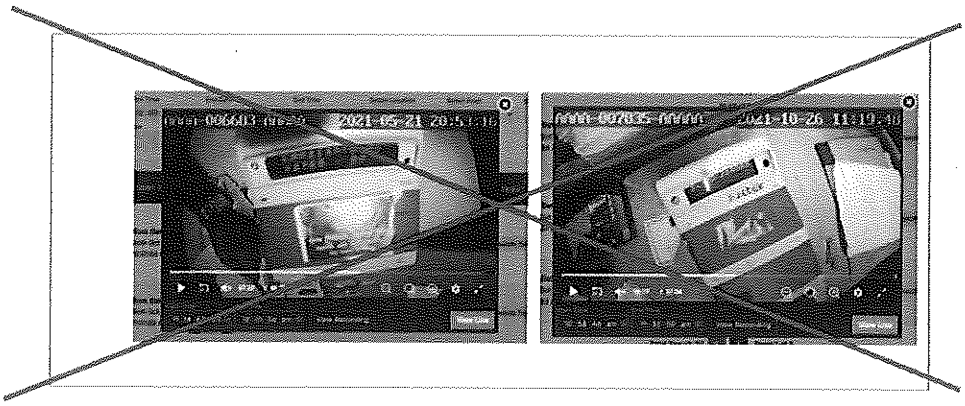

Blurry EVM Screen or Light on EVM Machine

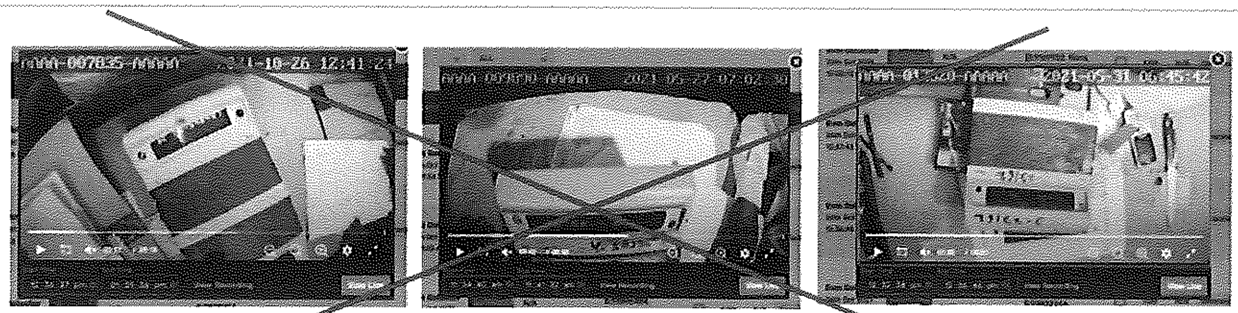

Tilted

Obscured

Up-Side down

Tilted EVM Screen

मतगणना के दिन लगाये जाने वाले कैमरों की संख्या एवं क्रियाशीलता का प्रतिवेदन

जिला | नगर निकाय का नाम | दिनांक

क्र0	विषय	लगाये गये कुल कैमरों की संख्या	क्रियाशील कैमरों की संख्या	अक्रियाशील कैमरों की संख्या	अभियुक्ति
1	टेबल पर लगाये जाने वाले कुल कैमरों की संख्या (ओ.सी.आर. हेतु)				
2	पदवार हॉल में लगाए गए कुल कैमरों की संख्या (वेबकास्टिंग हेतु)				
3	स्ट्राँग रूम में लगाए गए कुल कैमरों की संख्या				
4	वेटिंग रूम में लगाए गए कुल कैमरों की संख्या				
5	मतगणना परिसर में लगाए गए कुल कैमरों की संख्या				

नोट :— वेटिंग रूम, स्ट्राँग रूम, हॉल, परिसर प्रत्येक में 2 कैमरा एवं प्रत्येक टेबल पर 1 कैमरा लगाया जाना है।

एजेंसी के प्राधिकृत कर्मी का नाम एवं हस्ताक्षर

नोडल / तकनीकी नोडल ओ.सी.आर. एवं वेबकास्टिंग का नाम एवं हस्ताक्षर

24.06.25

ओ0सी0आर0 हेतु चेकलिस्ट

क्रमांक	कार्य	अनुपालन हेतु जिम्मेवार पदाधिकारी	अनुपालन की स्थिति
1	2	3	4
मतगणना के पूर्व			
1	ई0वीएम0 डाटा की पोर्टल पर प्रविष्टि		
2	ई0वी0एम0 डाटा प्रविष्टि की शुद्धता का प्रमाण–पत्र आयोग को भेजना		
3	मतगणना कक्ष में टेबुल की व्यवस्था		
4	टेबुल स्थिर है अथवा नहीं		
5	सभी टेबुल पर फ्रेम एवं कैमरा का अधिष्ठापन		
6	मतगणना कक्ष में एल0ई0डी0 लाईट की व्यवस्था		
7	सी0यू0 पर लाईट के Reflection की स्थिति		
8	मतगणना पटल पर सूर्य की सीधी रौशनी को रोकने की व्यवस्था		
9	मतगणना केन्द्र पर दो Soket (5 एम्पीयर) की व्यवस्था एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।		
10	सर्विस प्रोवाइडर की नाम एवं संख्या		
11	जिला द्वारा चयनित एजेंसी को मतगणना से तीन दिन पूर्व दो डमी कंट्रोल यूनिट उपलब्ध कराया गया या नहीं।		
12	(C-3) पर प्रथम ट्रायल/मॉक टेस्ट		
13	मतदान के दिन बदले गये CU की संख्या एवं पोर्टल पर प्रविष्टि		
14	मतगणना कक्ष में ओ.सी.आर. के सतत अनुश्रवण हेतु प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या		
15	प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटरों का प्रशिक्षण।		

मतगणना की तिथि को			
16	मतगणना कक्ष में सुरक्षित मतगणना पटल की व्यवस्था		
17	मतगणना कक्ष में अधिष्ठापित टी0वी0 की संख्या		
18	मतगणना स्थल पर निर्वाची पदाधिकारी/प्रेक्षक की कक्ष में ओसीआर डिस्पले के लिए अधिष्ठापित टी0वी0 की संख्या		
19	मतगणना के दौरान सी0यू0 पर पाये जाने वाले धूल को साफ करने हेतु साफ्ट ड्राई टिशु पेपर की व्यवस्था।		
20	मतगणना के दौरान अतिरिक्त पॉवर पैक की उपलब्धता		